न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 142/2019 **दायर दिनांकः 01/10/2019**

उनवान

1. इन्द्रजीत आयु 39 वष्र पुत्र धन्नालाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा तहसील अटरू
2. सुरेन्द्र आयु 28 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा तहसील अटरू
3. रघुराज आयु 25 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा तहसील अटरू
4. सीमा नागर आयु 35 वर्ष पुत्री धन्नालाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा तहसील अटरू
5. मुकलेश आयु 33 वर्ष पुत्री धन्नालाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा तहसील अटरू
6. सीता आयु 30 वर्ष पुत्री धन्नालाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. धन्नालाल आयु 60 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 23/12/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट. का इस आशय का पेश किया है, कि वाके ग्राम एवं माल हानीहेडा पटवार हल्का बरलां तहसील अटरू मे खाता संख्या 172 की ख0नं0 366 रकबा 1.15 है0 ख0नं0 384 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 388 रकबा 3.58 है0, ख0नं0 405 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 420 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 647 रकबा 0.18 है0 किता 6 कबा 5.27 है0 व खाता संख्या 173 की ख0नं0 105 रकबा 6.00 है0, ख0नं0 362 रकबा 0.88 है0 ख0नं0 363 रकबा 0.85 है0, ख0नं0 364 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 365 रकबा 0.28 है0, 369 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 559 रकबा 1.09 है0 किता 7 रकबा 9.52 है0 आराजी वादीगण के पिता धन्नालाल पुत्र कन्हैयालाल प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खाता दर्ज चली आ रही हैं। जिसके

एक मात्र वारिस वादीगण हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णत आराजी पैतृक है जो प्रतिवादी क्रम 1 को उनके पिता से विरासत मे प्राप्त हुई हैं। वादीगण के पिता की उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का जन्म से अधिकार प्राप्त हैं। वादीगण के पिता उक्त वर्णित आराजी को कही रहन एवं बैचान करना चाहता है जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही हैं। अगर वह ऐसा करते है तो वादीगण के नैसर्गिक अधिकारो का हनन होगा। अतः वादीगण को अधिकार है कि प्रतिवादी क्रम 1 के खाते की उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का हिस्सा समभाग खातेदार कृषक घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। जिसको बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता हैं। अस्तु यह वाद माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत हैं। वादीगण को प्रतिवादी क्रम 1 के पिता ने काश्त करने हेतु अलग अलग आराजी दे रखी हैं। लेकिन आराजी मे हमारा हिस्सा दर्ज नही होने से कृषि विकास कार्य, खाद बीज खरीदने व बैंक से ऋण प्राप्त करने आदि समस्याओ का सामना करना पडता है अतः वादीगण का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णत आराजी मे संयुक्त रूप से समभाग राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज किया जावे। जसके हम अधिकारी हैं। राजस्थान सरकार भूमि धारक होने एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है उनके खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है मामला मात्र नाम दुरूस्ती का है इसलिए उन्हे 80 सी0पी0सी0 को नोटिस नही दिया गया हैं। वाद कारण वादीगण द्वारा कई बार प्रतिवादी क्रम 1 से हमारा नाम खाते में संयुक्त रूप से दर्ज करने का मौखिक निवेदन के बावजूद भी नही करने पर व अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र मे उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षैत्र अटरू मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद पत्र की द्वितीय प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न हैं।

अतः वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा वाद सादिर फरमाई जावे किः—

(अ) यह कि वादीगण का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी मे

प्रतिवादी क्रम 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जाकर समभाग राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 2 को प्रदान कया जावें।

(ब) यह कि अन्य सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 5 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 7 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 8 स्वीकार है। अनुतोष वादी स्वीकार है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी 1 ओर से ईकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जाकर समभाग राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 2 को प्रदान किया जावें।

वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ने उपस्थित होकर वादी क्रम 1 व 4 लगायत 6 निम्न हक त्याग पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में हमारा नाम संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज होने के बाद हम इन्द्रजीत, सीमा नागर, मुकलेश नागर, सीता अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजी का हक त्याग हमारे भाई वादी क्रम 2 व 3 सुरेन्द्र व रघुराज के पक्ष में करते व राजस्व रिकार्ड में हमारे हिस्से पर हमारे भाई वादी क्रम 2 व 3 सुरेन्द्र व रघुराज का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कर दिया जावें। वादीगण नियमानुसार हकत्याग पत्र की शुल्क माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जमा करने के लिये तैयार है।

अतः माननीय न्यायालय में हकत्याग पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी क्रम 1 व 3 लगायत 6 क्रमशः इन्द्रजीत, सीमा नागर, मुकलेश नागर, सीता के हिस्से की आराजी पर वादी क्रम 2 व 3 सुरेन्द्र व रघुराज का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश व हक त्याग की शुल्क जमा करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 2 को प्रदान करने की कृपा करें।

हकत्याग पत्र पढ़कर सुनाया सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम हानीहेड़ा की खाता संख्या 172 किता 6 रकबा 5.27 है0 व खाता संख्या 173 किता 7 रकबा 9.52 है0 भूमि में प्रतिवादी क्रम 1

धन्नालाल के शामलाती खाते में दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है जो पैत्रिक सम्पत्ति है, जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार बनता है।

अतः इकबालिया जवाब दावा व सहमति से हकत्याग पत्र अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है। विवादित आराजी ग्राम हानीहेड़ा की खाता संख्या 172 किता 6 रकबा 5.27 है0 व खाता संख्या 173 किता 7 रकबा 9.52 है0 प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 में वादीगण 1 ल 6 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/14—1/14 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी क्रम 1,4,5,6 द्वारा अपना समस्त हिस्सा 2/14—2/14—2/14—2/14 का हकत्याग अपने भाई वादी क्रम 2 व 3 के पक्ष में करने से हिस्सा 3/14—3/14 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/14 का खातेदार कृषक हकत्याग शुल्क जमा कराने की शर्त पर घोषित किया जाता है। रहन का नोट प्रतिवादी के हिस्से में दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 30/2015

उनवान

1. मदनलाल आयु 65 वर्ष पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी खेडलीगद्धियान।
2. रामकिशन आयु 50 वर्ष पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी खेडलीगद्धियान तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. प्रभूलाल आयु 40 वर्ष पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी खेडलीगद्धियान तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....
बहाजिर :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम सींदनी के साबिक नं0 35 रकबा 8 बीघा सिवायचक का हाल ख0नं0 77 रकबा 9.78 है0 गैर मु0 पठार (वन) में से 8 बीघा भूमि यानी नवीन रकबा 1.28 है0 भूमि पर वादीगण को गैर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। शेष भूमि गैर0 मु0 पठार वन के नाम रखी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 13.11.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.02.05 16:29:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: